20रु कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

10रु कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

98

समक्ष मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्र. क्र. ~~मुरैना / एक / भू रा / रिव्यू / 2017 /~~

II/पुनर्विलोकन/मुरैना/भू०रा/2017/4288

1 राघेश्याम पुत्र पातीराम

2 राकेश

3 रामनारायण

4 अशोक

5 दिवाकर पुत्रगण मवासीराम

6 रामलाडली पुत्री मवासीराम

निवासीगण पचौरी का पुरा भिण्ड रोड

पौरसा जिला मुरैना म0 प्र0

....आवेदक / गैरनिगरानीकर्ता

श्री राजेन्द्र जैन द्वारा आज दि. 6-11-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 6-11-17

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पे० दि० 16-11-17

विरुद्ध

1 विमला देवी पत्नी धर्मेन्द्र सिंह ठाकुर

निवासी पचौरी का पुरा भिण्ड रोड

पौरसा जिला मुरैना म0 प्र0

2 रंजन लाल

3 रामभरोसी

4 राजवीर पुत्रगण दाताराम

5 रामजीलाल पुत्र श्री गजाधर

निवासी पचौरी का पुरा भिण्ड रोड

पौरसा जिला मुरैना म0 प्र0

.....रेस्पोंडेट

पुर्नवलोकन याचिका अन्तर्गत धारा 51 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश प्र0 क्र0 2214/एक/2016 दिनांकी 06/10/2017 द्वारा पारित श्री एस.एस. अली, सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर

श्रीमान महोदय,

आवेदक की ओर से पुर्नवलोकन याचिका निम्न अनुसार प्रस्तुत है–

प्रकरण के तथ्य–

1 यहकि, ग्राम व तहसील पोरसा जिला मुरैना मे स्थित सर्वे क0 1787/1 रकवा 0.194 हे0 भूमि के स्वामी प्रार्थी एवं प्रतिप्रार्थीगण है।

2 यहकि, उपरोक्त भूमि सर्वे क0 1787/1 रकवा 0.194 हे0 का बटवारा कराये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया जो प्रकरण क0 18/अ–27/13–14 पर दर्ज हुई उपरोक्त प्रकरण मे अनावेदकगण सूचना पत्र जारी किये गये व इस्तेहार जारी किया गया वाद तामील विमला देवी प्रतिप्रार्थी क0 1 उपस्थित हुई शेष प्रतिप्रार्थी रंजन लाल, रामभरोसी, राजवीर बाद तामील अनुपस्थि रहे के विरूद्ध दिनांक 13/02/2014 को एक पक्षीय आदेश पारित किया गया तथा अनावेदक रामजीलाल द्वारा स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 26/02/2014 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि उन्हे बटवारे मे कोई आपत्ति नही है।

3 यहकि, उक्त प्रकरण मे तहसीलदार द्वारा ग्राम पटवार से फर्द बटवारा की मांग की पटवारी की ओर से दिनांक 14/07/2014 को मय बटांकन के फर्द बटवारा प्रस्तुत की गई, फर्द का विधिवत प्रकाशन कराया गया। बाद प्रकाशन मात्र प्रतिप्रार्थी क0 1 विमला देवी की ओर से आपत्ति इस आशय की प्रस्तुत की गई कि अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ प्रकरण 21/13–14/अ/न्या/25/13–14/अन प्रचलीत है

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक दो/पुनरावलोकन/मुरैना/भू.रा./2017/4288

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12.1.2018	यह पुनरावलोकन आवेदन राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियंर के प्र0क0 2214–एक/2016 निगरानी में पारित आदेश दि. 6–10–17 पर से म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2/ पुनरावलोकन में दर्शाए गए आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक ने पुनरावलोकन आवेदन में वर्णित तथ्यों को ही मौखिक तर्को में दोहराया है, जिन पर विचार करने पर स्थिति यह है कि यह वहीं आधार हैं जिनके सम्बन्ध में प्र0क0 2214–एक/2016 निगरानी में पारित आदेश दि. 6–10–17 में विवेचना कर निष्कर्ष दिये जा चुके हैं जो अभिलेख के आधार पर उचित है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन हेतु निम्न व्यवस्था दी गई है :– 1. **किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके व्दारा पेश नहीं की जा सकती थी, या,** 2. **मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती,** 3. **कोई अन्य पर्याप्त कारण ।** आवेदकगण के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके कि आदेश दिनांक 6–10–17 पारित करते समय ऐसी कौनसी प्रत्यक्ष दर्शी भूल है अथवा उनके व्दारा ऐसा अभिलेख शोध कर लिया गया है, जो तत्समय आदेश पारित करने के पूर्व प्रस्तुत नहीं किया जा सका। पुनरावलोकन आवेदन में दर्शाए गए आधार समाधानकारक न होने से प्रकरण इसी–स्तर पर निरस्त किया जाता है। सदस्य	